देने की व्यवस्था है ताकि बड़े पैमाने पर तिलहन की खेती शुरू करने के लिये किसानों को प्रेरित किया जा सके। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अलावा 14 राज्यों में खरीफ 1987 के लिये" तिलहन उत्पादन तेजी से बढ़ाने संबंधी परियोजना" नामक हाल ही में तैयार की गई एक नई परियोजना मंजूर की गई है। इस नई परियोजना के अंतर्गत बीज उत्पादन, पौध-संरक्षण, उपाय ; बीज के मिनिकिटों के वितरण आदि पर बल दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप 1984-85 के दौरान 129.5 लाख मीटरी टन का रिकार्ड जत्पादन हुआ था। 1986-87 के दौरान भी मौसम की प्रतिकुल परिस्थितियों के बावजूद 1985-86 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक जत्पादन होने की आशा है।

जहां तक तिलहनों का संबंध है, 1986-87 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चल रही है। इस परियोजना में प्रजनन/आधारी बीज के उत्पादन, बीज मिनिकितों के वितरण, प्रखण्डों में प्रदर्शन, अनुकुली परीक्षण, विस्तार कार्यकर्त्ताओं की प्रशिक्षण आदि के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। 1987-88 के दौरान इस परियोजना में बीज के भण्डारण और बीज को पहले से ठीक जगह पर पहुंचाने, बीज गावों का संगठन, पौध संरक्षण रसायनों का वितरेण जैसे नये घटक शामिल किये गये हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान दलहनों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :-

वर्ष	उत्पादन (लाखमीटरी टन में)
1984-85	119.6
1985-86	129.6
1986-87	130.0 (प्रत्याशित)

राज्यों में फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

2449. श्री केशव प्रसाद शुक्ल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सहयोग से विभिन्न राज्य सरकारें फसल बीमा योजना लागू कर रही है,

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहां अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है,

(ग) क्या विभिन्न राज्यों मे फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए थ्रेशहोल्ड यील्ड निर्धारण" के अलग-अलग मानक रखे गये है, और यह सच है कि विभिन्न राज्यों मे क्षति पूर्ति कार्य के लिये प्रशासनिक इकाइयां भिन्न भिन्न है, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार राज्यों मे अलग-अलग मानक रखने के कारण क्या हैं?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढ़िल्लों) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब, हरियाणा, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और सिक्किम राज्यों ने यह योजना क्रियान्वित नहीं की है। जम्मू व कश्मीर, मणिपुर और मेघालय राज्यों ने खरीफ , 1987 मौसम से इस योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान राज्य ने रबी, 1985-86 और खरीफ, 1986-87 मौसेम से यह योजना क्रियान्वित की थी, परन्तु बाद में इस योजना से बाहर हो गया।

(ग) और (घ) :-व्यापक फसल बीमा योजना को क्रियान्वित करने के लिए न्यूनतम निर्धारित जपज का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए कोई भिन्न मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि, इस योजना के अन्तर्गत फसल बीमे की इकाई का आकार एक ब्लाक, टालुक जिला अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में

ऐसा ही अन्य निकटस्थ क्षेत्र हो सकता है जो इस बात पर निर्भर होगा कि इस योजना के अन्तर्गत आवृत्त फसल/फसलों के लिए ऐसे क्षेत्र से फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त उपज के आकड़े पिछले पांच वर्षों के लिए उपलब्ध है या नहीं।

Recovery of unpaid amount from Shahadara Consumers Cooperative Store

2450. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1221 given in the Rajya Sabha on the 6th March, 1987 and state:

(a) what is the progress in recovery of Rs. 22.46 lakhs from the Shahadara Cooperative Society;

(b) whether it is a fact that the CBI had investigated this case and had found certain officers of the NCCF guilty of serious malpractices. and

(c) if so, when the report was submitted by the CBI what are its recommendations and what is the progress of the Disciplinary proceedings against the officers involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) The case filed before the Registrar of Cooperative Societies is still pending and the amount of Rs. 22.46 lakhs still remains to be recovered from the Society.

(b) and (c) Yes, Sir. The CBI Report was received by National Cooperative Consumers Fedration in November, 1984 wherein departmental enquiry for imposing major penalty was recommended against the then Branch Manager, who was on deputation from the Government of Uttar Pradesh, and against one Assistant Manager of NCCF. The Government of Uttar Pradesh had been requested to initiate a departmental enquiry against the former Branch Manager, who was reverted back to his parent office, which is in progress. The Departmental enquiry against the Assistant Manager of the NCCF has been concluded and the charges have been conclusively proved. Notice for termination of the services to the Assistant Manager has been issued on 6-8-1987.

Action against the officers involved in sale of imported chickpeas by NCCF

2451. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to reply to the Unstarred Question 2205 given in the Rajya Sabha on the 8th May, 1987 and state:

(a) what is the progress of Disciplinary Proceedings against the officers who have been repatriated from NCCF to their respective parent departments for committing serious malpractices/irregularities;

(b) what is the progress of recovery of balance bank Guarantee amount of Rs. 3.81 lakhs from the Banks and what action has been taken against involved officers still working in NCCF;

(c) whether NCCF launched Legal/Arbitration Proceedings against the first buyer for recovery of anticipated Trading Loss immediately after the buyer failed to lift the checkpeas; and

(d) if so, when and before whom these proceedings were initiated and what is the progress there against?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) The former Managing Director, Additional Managing Director and Chief Controller